उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सत्र 2023 के द्वितीय शुक्रवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर ।

प्रश्न-9	प्रश्न	उत्तर	
(क)	क्या उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट-माप मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज तथा झॉसी मण्डल में उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में शासन द्वारा क्या-क्या व्यवस्था है?	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28(2) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रयागराज मंडल में स्थित जनपद प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी व फतेहपुर तथा झांसी मंडल में स्थित जनपद झांसी, जालौन व ललितपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित है एवं कार्यशील है।	
(ख)	वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कितने मामले लम्बित है?	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का नाम	लम्बित मामले (दिसम्बर,2022तक)
		प्रयागराज	3949
		प्रतापगढ	1877
		कौशाम्बी	171
		फतेहपुर	896
		झॉसी	2309
		जालौन	866
		ललितपुर	686
(ग)	उपरोक्त लम्बित मामलों का निराकरण कराते हुए उपभोक्ताओं को और अधिक लाभ दिये जाने के संबंध में क्या कोई कार्ययोजना है?	उपभोक्ताओं के हितों के दृष्टिगत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में नियमित सुनवायी कर वादो का निस्तारण त्वरित गति से किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक माह 'उपभोक्ता लोक अदालत' का आयोजन किया जाता है एवं 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का भी आयोजन किया जाता है।	
(घ)	यदि नही, तो क्यों?	प्रश्न नही उठता ।	

आशीष पटेल

मंत्री ।